भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1121

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर ऐप

1121. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस), आधार ई-केवाईसी की त्रुटियों और ओटीपी विफलताओं के कारण पात्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को टेक होम राशन (टीएचआर) से वंचित किए जाने की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जुलाई, 2025 में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद से टीएचआर प्राप्त न करने वाले पात्र लाभार्थियों का इन विफलताओं के कारणों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पोषण ट्रैकर ऐप के अंतर्गत अनिवार्य किए गए अतिरिक्त डिजिटल कार्यों के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण ट्रैकर ऐप के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लीकेशन को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सुशासन उपकरण के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) तथा लाभार्थियों से संबंधित सभी गतिविधियों का निर्धारित संकेतकों के आधार पर निगरानी एवं ट्रैकिंग की जाती है। यह एप्लीकेशन देशभर के लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित गतिविधियों की लगभग तत्समय में निगरानी एवं ट्रैकिंग को सुगम बनाता है।

घर ले जाने हेतु राशन (टीएचआर) के वितरण के लिए पोषण ट्रैकर पर चेहरे की पहचान प्रणाली के अंतर्गत ई-केवाईसी तथा फेस मैचिंग के दौरान कुछ क्षेत्रों में कम अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने जैसी नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एप्लीकेशन में ऑफलाइन मोड में चेहरे की पहचान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाभार्थी के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान ई-केवाईसी हेतु ओटीपी प्रमाणीकरण तथा आधार-आधारित चेहरे की पहचान केवल एक बार कराना आवश्यक होता है। इससे नेटवर्क अथवा सर्वर संबंधी समस्याओं की स्थिति में भी लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना अधिक सुगम हो गया है। इसके अतिरिक्त, टीएचआर प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों के लिए एप्लीकेशन में नामित व्यक्ति (नॉमिनी) मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होने में असमर्थ रहती है, तो वह अपनी ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए किसी नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को नामित कर सकती है।

पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, देश में घर ले जाने हेतु राशन (टीएचआर) के वितरण के लिए लाभार्थियों के ई-केवाईसी तथा चेहरे की पहचान का प्रतिशत गत एक वर्ष में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह जुलाई, 2025 में 70.82 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2026 में 97.87 प्रतिशत हो गया है। जून, 2026 की स्थिति के अनुसार ई-केवाईसी तथा चेहरे की पहचान (जून 2026 तक) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पोषण ट्रैकर के माध्यम से 11 भौतिक पंजिकाओं (रजिस्टरों) में मैनुअल प्रविष्टि के स्थान पर डिजिटल रिपोर्टिंग की व्यवस्था किए जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यभार तथा

परिचालन संबंधी चुनौतियों में उल्लेखनीय कमी आई है। आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, घर ले जाने हेतु राशन तथा पके हुए गर्म भोजन का वितरण, आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियां (जैसे विद्यालय-पूर्व शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी सत्र) आदि दैनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भर किए बिना ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध है। यह सुविधा इसलिए संभव हो सकी है क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को विशेष रूप से इस प्रकार विकसित किया गया है कि ऑफलाइन मोड में भी आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सके तथा प्रविष्टि के पांच दिनों के भीतर इन आंकड़ों का समकालीकरण (सिंक) किया जा सके।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, ब्लॉक समन्वयकों तथा पर्यवेक्षकों जैसे अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रीय कार्मिकों को आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जा रही सेवाओं के आंकड़े दर्ज करने तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (म.बा.वि.मंत्रा) द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को निम्नलिखित माध्यमों से निरंतर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) सहायता प्रदान की जाती है:

• शिक्षण वीडियो एवं जागरूकता संबंधी दस्तावेज: पोषण ट्रैकर अनुप्रयोग के रिसोर्स (संसाधन) अनुभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए शिक्षण वीडियो तथा जागरूकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें वे अपनी नियमित कार्य-संबंधी गतिविधियों के प्रभावी निष्पादन हेतु किसी भी समय देख एवं उपयोग कर सकते हैं।
• 'पोषण भी, पढ़ाई भी' (पीबीपीबी) पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण: इस पहल के अंतर्गत म.बा.वि.मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्मिकों को प्रशिक्षण के क्रमिक (कैस्केडिंग) मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों (जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक तथा पर्यवेक्षक) को प्रशिक्षित किया जाता है, जो आगे क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूल, जैसे चेहरे की पहचान प्रणाली, जियो-टैगिंग, होम विजिट शेड्यूलर आदि का उपयोग सिखाया जाता है। ब्लॉक एवं जिला समन्वयक, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं पर्यवेक्षकों को क्षेत्र स्तर पर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करते हैं।

• दैनिक वर्चुअल कक्षा सत्र: प्रतिदिन अपराह्न 3:00 बजे से 4:00 बजे तक वर्चुअल कक्षा (वीसी) सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भाग लेकर एप्लीकेशन के संचालन से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनका वास्तविक समय (रियल-टाइम) में समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
• हेल्पलाइन एवं टिकट-आधारित सहायता: पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एप्लीकेशन के माध्यम से टिकट बनी सकती हैं अथवा पोषण हेल्पलाइन (1515) पर संपर्क कर सकती हैं। कॉल सेंटर प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक संचालित होता है तथा 17 भाषाओं में सहायता उपलब्ध कराता है। प्राप्त टिकटों का दैनिक आधार पर निस्तारण किया जाता है।
• नए संस्करण के जारी होने पर प्रशिक्षण: इसके अतिरिक्त, जब भी पोषण ट्रैकर पर नए एप्लीकेशन जारी किए जाते हैं, तब डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए एप्लीकेशन के उपयोग/शंकाओं/प्रश्नों के संबंध में क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

अनुलग्नक-I

जून, 2026 की स्थिति के अनुसार घर ले जाने हेतु राशन (टीएचआर) के वितरण के लिए ई-केवाईसी एवं चेहरे की पहचान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कुल सक्रिय पात्र लाभार्थी	ई-केवाईसी और चेहरे की पहचान (%)	
1	आंध्र प्रदेश	15,79,848	15,73,826	99.62
2	अरुणाचल प्रदेश	39,987	29,985	74.99
3	असम	14,64,565	13,99,032	95.53
4	बिहार	58,05,885	56,93,889	98.07
5	छत्तीसगढ़	12,37,182	12,25,659	99.07
6	गोवा	32,154	32,046	99.66
7	गुजरात	20,75,155	19,68,244	94.85
8	हरियाणा	7,94,000	7,67,361	96.64
9	हिमाचल प्रदेश	2,67,541	2,67,261	99.90
10	झारखंड	14,27,157	13,94,629	97.72
11	कर्नाटक	23,14,434	23,12,930	99.94
12	केरल	7,61,139	6,91,948	90.91
13	मध्य प्रदेश	34,14,903	32,83,405	96.15
14	महाराष्ट्र	27,89,386	27,66,599	99.18
15	मणिपुर	1,36,072	1,25,632	92.33
16	मेघालय	1,90,733	1,77,346	92.98
17	मिजोरम	62,247	61,683	99.09
18	नागालैंड	59,404	52,821	88.92
19	ओडिशा	19,26,861	19,06,092	98.92
20	पंजाब	7,32,133	6,95,758	95.03
21	राजस्थान	23,78,043	23,56,289	99.09
22	सिक्किम	13,722	10,777	78.54
23	तमिलनाडु	15,51,931	15,24,962	98.26
24	तेलंगाना	10,85,170	10,78,515	99.39
25	त्रिपुरा	1,53,820	1,51,720	98.63
26	उत्तर प्रदेश	99,91,059	98,34,824	98.44
27	उत्तराखंड	4,73,100	4,51,742	95.49
28	पश्चिम बंगाल	40,08,617	38,31,439	95.58
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,308	7,146	97.78
30	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	17,367	17,293	99.57
31	दिल्ली	4,53,477	4,52,478	99.78
32	जम्मू और कश्मीर	4,38,600	4,31,159	98.30
33	लद्दाख	9,616	9,443	98.20
34	लक्षद्वीप	2,985	2,983	99.93
35	पुदुचेरी	29,971	28,994	96.74

36	चंडीगढ़	22,974	22,974	100.00
भारत		4,37,32,621	4,28,00,299	97.87